



डॉ० दिलीप कुमार यादव

लैंगिक असमानता: कारण और समाधान

असिस्टेंट प्रोफेसर- समाजशास्त्र विभाग, इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड रिसर्च, फरीदाबाद, (हरियाणा) भारत

Received-13.03.2024, Revised-20.03.2024, Accepted-25.03.2024 E-mail: akhileshsaroj.mspg@gmail.com

सारांश: 'समानता एक सुंदर और सुरक्षित समाज की वह नींव है। जिस पर विकास रूपी इमारत बनाई जा सकती है।' लैंगिक समानता क्या है? आखिर क्यों यह किसी भी समाज और राष्ट्र के लिये एक आवश्यक तत्व बन गया है? क्या बदलते समाज में यह प्रासंगिक है? लैंगिक समानता का अर्थ यह नहीं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक लिंग का हो, अपितु लैंगिक समानता का सीधा सा अर्थ समाज में महिला तथा पुरुष के समान अधिकार, दायित्व तथा रोजगार के अवसरों के परिप्रेक्ष्य में है। इसी तथ्य के मद्देनजर सितंबर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में एजेंडा 2030 के अंतर्गत 17 सतत् विकास लक्ष्यों को रखा गया, जिसे भारत सहित 193 देशों ने स्वीकार किया। इन लक्ष्यों में सतत् विकास लक्ष्य 5 के अंतर्गत लैंगिक समानता के विषय को भी शामिल किया गया है। स्पष्ट है कि हमारे समाज के विकास के लिये लैंगिक समानता अति आवश्यक है। महिला और पुरुष समाज के मूल आधार हैं। समाज में लैंगिक असमानता सोच-समझकर बनाई गई एक खाई है, जिससे समानता के स्तर को प्राप्त करने का सफर बहुत मुश्किल हो जाता है।

कुंजीशब्द— सुरक्षित समाज, लैंगिक समानता, प्रासंगिक, समान अधिकार, दायित्व, रोजगार, संयुक्त राष्ट्र महासभा, विकास।

लैंगिक असमानता के विभिन्न क्षेत्रों की बात करें, तो इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र के साथ वैज्ञानिक क्षेत्र, मनोरंजन क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और खेल क्षेत्र प्रमुख हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 'विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएँ' थीम के साथ आयोजित किया गया। यह विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करने का एक बेहतरीन प्रयास है, परंतु लैंगिक असमानता की इस खाई को दूर करने में हमें अभी मीलों चलना होगा। इस आलेख में लैंगिक असमानता के कारणों पर न केवल चर्चा की जाएगी बल्कि इस समस्या का समाधान तलाशने का प्रयास भी किया जाएगा।

अध्ययन का उद्देश्य— प्रस्तुत शोधपत्र में लैंगिक असमानता: कारण एवं निदान का भारतीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया है।

साहित्यावलोकन— निश्चित रूप से लैंगिक भिन्नता को समाप्त करने की दिशा में कई अध्ययन एव प्रयास किये गये हैं। परन्तु वास्तव में आज भी हमारे समाज में लैंगिक भिन्नता जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। लैंगिक भिन्नता से क्या चुनौतियाँ उत्पन्न हुयी है, इसके क्या निदान है और इनसे कैसे निबटा जा सकता है, इसका अध्ययन इस शोध पत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रस्तावना— प्रत्येक बच्चों का अधिकार है कि उसकी क्षमता के विकास का पूरा मौका मिले। लेकिन लैंगिक असमानता की कुरीति की वजह से वह ठीक से फल-फूल नहीं पते है साथ ही भारत में लड़कियों और लड़कों के बीच न केवल उनके घरों और समुदायों में बल्कि हर जगह लिंग असमानता दिखाई देती है। पाठ्यपुस्तकों, फिल्मों, मीडिया आदि सभी जगह उनके साथ लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है यही नहीं एक देखभाल करने वाले पुरुषों और महिलाओं के साथ भी भेदभाव किया जाता है।

भारत में लैंगिक असमानता के कारण अवसरों में भी असमानता उत्पन्न करता है, जिसके प्रभाव दोनों लिंगों पर पड़ता है लेकिन आँकड़ों के आधार पर देखें तो इस भेदभाव से सबसे अधिक लड़कियों आते आसनों से वंचित रह जाती हैं। आँकड़ों के आधार पर विश्व स्तर जन्म के समय लड़कियों के जीवित रहने की संख्या अधिक है साथ ही साथ उनका विकास भी व्यवस्थित रूप से होता है। उन्हें प्री स्कूल भी जाते पाया गया है जबकि भारत एकमात्र ऐसा बड़ा देश है जहाँ लड़कों की अनुपात में अधिक लड़कियों का मृत्यु दर अधिक है उनके स्कूल नहा जाने या बेच में ही किनही कारणों से स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति अधिक पाई गई है।

भारत में लड़के और लड़कियों के बालपन के अनुभव में बहुत अलग होता है यहाँ लड़कों को लड़कियों की तुलना अधिक स्वतंत्रता मिलती है, जबकि लड़कियों की स्वतंत्रता में अनेकों पाबंदियाँ होती हैं ऐसी पाबंदी का असर उनकी शिक्षा, विवाह और सामाजिक रिश्तों, खुद के लिए निर्णय के अधिकार आदि को प्रभावित करती है।

लिंग असमानता एवं लड़कियों और लड़कों के बीच भेदभाव जैसे-जैसे बढ़ती जाती है इसका असर न केवल उनके बालपन में दिखता है, बल्कि वयस्कता तक आते-आते इसका स्वरूप और व्यापक हो जाता है नतीजतन कार्यस्थल में मात्र एक चौथाई महिलाओं को ही काम करते पाया जाता है। हालांकि कुछ भारतीय महिलाओं को विश्वस्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली पदों पर नेतृत्व करते पाया गया है, लेकिन भारत में अभी भी ज्यादातर महिलाओं और लड़कियों को पितृ प्रधान समाज के विचारों, मानदंडों, परंपराओं और संरचनाओं के कारण अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से अनुभव करने की स्वतंत्रता नहीं मिली है। लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है। वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेद-भाव से पीड़ित होती हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है।

लिंग भेदभाव तब होता है जब किसी व्यक्ति के साथ उसके लिंग के आधार पर नकारात्मक या असमान व्यवहार किया जाता है। इसमें शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य देखभाल तक प्रतिबंधित पहुंच शामिल हैय असमान वेतनय यौन उत्पीड़नय और भी बहुत कुछ जब महिलाओं को पुरुषों की तुलना में समान शिक्षा और परिणामस्वरूप, समान नौकरी के अवसर दी जाती है, तो वे जिस व्यवसाय से जुड़ी हैं वह फलता-फूलता है। जब महिलाएँ पुरुषों के समान ही अर्थव्यवस्था में भाग ले सकती हैं, तो अर्थव्यवस्था बेहतर होती है।

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक



लैंगिक वेतन अंतर को कम करना इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में देहेज प्रथा इस धारणा को प्रभावित करके लैंगिक असमानता में योगदान करती है कि लड़कियाँ परिवारों पर बोझ हैं। इस तरह की मान्यताएँ माता-पिता द्वारा अपनी लड़कियों में निवेश किए गए संसाधनों को सीमित करती हैं और परिवार के भीतर उसकी सौदेबाजी की शक्ति को सीमित करती हैं। ऐसे समय में जब मानव समाज कृषि बस्तियों के पक्ष में अपनी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति को त्याग रहे थे, लैंगिक असमानता का पहला संकेत जड़ें जमा रहा था। यह यूरोपियन जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार है, जिसमें इबेरियन प्रायद्वीप पर 5000 से 8000 साल पुरानी कब्रों का विश्लेषण किया गया था। गर्भनिरोधक तक सीमित पहुंच के अलावा, महिलाओं को कुल मिलाकर पुरुषों की तुलना में कम गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल प्राप्त होती है। यह अन्य लैंगिक असमानता के कारणों से जुड़ा है, जैसे शिक्षा और नौकरी के अवसरों की कमी, जिसके परिणामस्वरूप अधिक महिलाएँ गरीबी में हैं।

भारतीय समाज में लैंगिक असमानता- भारतीय समाज में लैंगिक असमानता एक गंभीर मुद्दा है। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों की गारंटी देने वाले संविधान और दशकों के कानून के बावजूद, भारत में कुछ गहरे लिंग भेदभाव महिलाओं के जीवन पर क्रूर प्रभाव डालते हैं। तीव्र आर्थिक विकास के बाद भी, लैंगिक असमानताएँ सर्वविदित हैं। उपेक्षा के कारण पाँच वर्ष की आयु तक पहुँचने से पहले हर दिन 1,000 लड़कियाँ मर जाती हैं।

समानता को मापने वाले विभिन्न सूचकांकों में भारत को निचले स्थान पर रखा गया है, जिसमें आर्थिक भागीदारी और अवसर शामिल हैं। शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविताय राजनीतिक सशक्तिकरण और कानूनी सुरक्षा - भारत में महिला भेदभाव के उच्च स्तर के साथ-साथ विभिन्न भेदभावपूर्ण सामाजिक मानदंडों, कानूनों और सांस्कृतिक प्रथाओं जैसे कई कारकों के कारण। भारत में लैंगिक असमानता के कुछ प्रमुख क्षेत्र या उदाहरण जहाँ महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उनमें शिक्षा और रोजगार तक कम पहुँच, राजनीतिक पदों पर कम प्रतिनिधित्व, पुरुषों की तुलना में खराब स्वास्थ्य और पोषण और महिलाओं के खिलाफ सबसे स्पष्ट हिंसा शामिल है।

हालाँकि समस्या का गहन विश्लेषण विभिन्न कारणों के सापेक्ष महत्व और इसलिए समाधान के दृष्टिकोण के संबंध में असहमति पैदा कर सकता है, उन प्रमुख मुद्दों को एक साथ लाना आवश्यक है, जो भारत में लैंगिक असमानता को गहरा और व्यापक बनाने में योगदान करते हैं।

भारत में लैंगिक असमानता के कारण- भारत में लैंगिक असमानता एक व्यापक मुद्दा है, जो भारतीय महिलाओं और लड़कियों को कई तरह से प्रभावित कर रहा है। हालाँकि लैंगिक असमानता के कई कारण हैं, कुछ सबसे आम कारणों में शामिल हैं:

गरीबी- तमाम विकास और हालिया प्रमुखता में वृद्धि को देखते हुए, हम अक्सर भूल जाते हैं कि भारत अभी भी दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, और यह सबसे बड़े कारणों में से एक है जो भारत में लैंगिक असमानता को जन्म देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की उपलब्धता के बावजूद, परिवार परिवार की लड़कियों की बजाय अपने लड़कों को स्कूल भेजना पसंद करते हैं, जो सबसे बड़े नुकसान में से एक है।

भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था- प्राचीन काल से ही भारत एक अत्यंत पितृसत्तात्मक समाज रहा है। भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने पुरुषों और महिलाओं के बीच मूलभूत असमानता में योगदान दिया। चूंकि महिलाओं को अपने पिता या पति के घर का हिस्सा माना जाता था, इसलिए वे अपने स्वयं के विकास या बड़े पैमाने पर समुदाय के विकास से संबंधित किसी भी मामले में अपनी बात कहने में असमर्थ थीं।

शिक्षा का अभाव या अशिक्षा- भारत में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर के बीच असमानता एक ज्ञात मुद्दा है। कुछ क्षेत्रीय राज्यों में असमानता अधिक है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में बेहतर असमानता है। समस्या यह नहीं है कि भारत में साक्षर महिलाएँ कम हैं, बल्कि समस्या यह है कि महिलाओं में अपने अधिकारों के उपयोग के प्रति जागरूकता की कमी है।

महिलाओं में जागरूकता की कमी- लैंगिक असमानता का एक प्रमुख कारण महिलाओं में अपने अधिकारों और समानता हासिल करने की उनकी क्षमता के बारे में जागरूकता की कमी है। जागरूकता की यह कमी अक्सर प्रचलित सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों के कारण होती है, जो यह निर्देश देते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहना चाहिए। इन बाधाओं को तोड़ना और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में अधिक जागरूक बनाने में मदद करना महत्वपूर्ण है ताकि वे समानता की मांग कर सकें।

सामाजिक रीति-रिवाज, मान्यताएँ एवं प्रथाएँ- समाज के विचार, रीति-रिवाज और सांस्कृतिक प्रथाएँ महिलाओं को समाज में निचले स्थान पर रखने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं - उन्हें उन अवसरों से वंचित करते हैं, जो आम तौर पर पुरुषों को प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें भारत में प्रमुख माना जाता है।

जागरूकता की आवश्यकता- भारत में महिलाओं के साथ दोगुने दर्जे का नागरिक माना जाता है और स्थिति बदतर होती जा रही है। लैंगिक समानता पर देश का रिकॉर्ड निराशाजनक है। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में लैंगिक समानता के मामले में भारत 145 देशों में से 134वें स्थान पर था, जो 2017 में 130वें स्थान पर था। विश्व 'जेंडर गैप रिपोर्ट, 2023' में भारत पिछले साल की तुलना में आठ पायदान ऊपर चढ़ गया है और अब वह लैंगिक समानता के मामले में 146 देशों में से 127वें स्थान पर है, लेकिन यह बेहतर आंकड़ा, कुल लैंगिक अंतराल का तकरीबन 64.3 फीसदी तक कम होना, शायद ही खुशी का कोई सबब है। भारत के सामने इस सूचकांक के चार प्रमुख बिन्दुओं - आर्थिक भागीदारी एवं अवसरय शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविताय राजनीतिक सशक्तिकरण - में से हरेक में सुधार करने की गुंजाइश है, ताकि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश का आधा हिस्सा अर्थव्यवस्था, विकास और समाज के समग्र कल्याण में योगदान दे सके। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद



जमीनी स्तर पर किए गए प्रयासों की बदौलत भारत ने शिक्षा और स्थानीय शासन में 40 फीसदी से ज्यादा महिला प्रतिनिधित्व के साथ राजनैतिक सशक्तिकरण के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन, जैसा कि यह रिपोर्ट बताती है, महज 15.1 फीसदी सांसद ही महिलाएं हैं, जो "2006 में इस रिपोर्ट के पहले संस्करण के बाद से भारत में सबसे ज्यादा है"। संसद को इस हकीकत के मद्देनजर लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण विधेयक पर कार्रवाई करके इसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए प्रेरित होना चाहिए। महिला आरक्षण विधेयक में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक को 1996 में संसद में पेश किया गया था। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के मामले में चीजें कहां खड़ी हैं, इस बात को समझने के लिए जरा इस तथ्य पर गौर करें: 1963 में एक राज्य का दर्जा पाने वाला नागालैंड अपनी पहली दो महिला विधायकों को 2023 में ही चुन सका।

पुरुषों और महिलाओं को एक जैसी आर्थिक भागीदारी और अवसर मुहैया कराने के मामले में, भारत 40 फीसदी से भी कम समानता के साथ सबसे निचले पायदान पर है। एक तरफ जहां वेतन और आय में समानता के मामले में स्थितियां बेहतर हुई हैं, वहीं वरिष्ठ पदों और तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। चिंता का एक और सबब स्वास्थ्य और उत्तरजीविता के मामले में भारत का प्रदर्शन है। हालांकि, जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार ने एक दशक से ज्यादा वक्त तक धीमी प्रगति के बाद इस मामले पर समानता ला दी है। यह जरूरी है कि लड़कियों को स्कूल और कॉलेज के जरिए शिक्षा हासिल करने का मौका मिले। उन्हें सवैतनिक कार्यों की भी जरूरत है। महिलाएं घर पर इतना ज्यादा अवैतनिक काम करती हैं कि उनमें से कईयों के पास भुगतान वाले काम को चुनने के लिए वक्त या ऊर्जा ही नहीं बचती है। लड़कियों को नौकरी सुनिश्चित करने वाली शिक्षा प्रदान करने से पोषण सहित विकास के तमाम सूचकांकों में स्वचालित तरीके से सुधार होगा और खराब मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार कम उम्र में विवाह का दुष्क्रम टूटेगा। जहां महामारी ने जीवन की भंगुरता को उजागर किया, वहीं यह महिलाओं के लिए कहीं ज्यादा मुश्किल वक्त रहा। उनकी श्रम भागीदारी दर में गिरावट आई, जिससे उनकी घरेलू आय में कमी हुई। अक्सर, अगर महिलाओं को नौकरी मिल भी जाती है, तो भी उनके रास्ते में पितृसत्तात्मक और सांस्कृतिक मानकों के जरिए रुकावट डाली जाती है। इसके अलावा, उन्हें अक्सर अपनी सुरक्षा की भी चिंता करनी पड़ती है। महामारी ने भले ही 2030 तक लैंगिक समानता का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में हो रही प्रगति को रोक दिया हो, लेकिन इसमें मौजूद अंतर को पाटने की दिशा में पूरी ईमानदारी के साथ काम जारी रहना चाहिए।

बिना किसी संदेह के, यह हम सभी के लिए एक चेतावनी है। हम सभी को हाथ मिलाना होगा और महिलाओं को इन भेदभाव संकटों से उबरने में मदद करनी होगी। हमें भारतीय महिलाओं में उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। केयर इंडिया जैसे कई संगठन हैं, जो महिलाओं के अधिकारों और समानता के बारे में जागरूकता पैदा करने की दिशा में काम करते हैं। हमें ऐसे संगठनों का समर्थन करने की आवश्यकता है जो महिलाओं को समान अवसर और अधिकार प्रदान करने के लिए दृढ़ता से काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हमें लोगों, खासकर पुरुषों की मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है, जो अब भी मानते हैं कि महिलाएं उनसे कमतर हैं। हमें महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को हर किसी के दिमाग में डालने की जरूरत है। हमने महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को बढ़ाने और बढ़ावा देने की एक परिणाम-उन्मुख प्रक्रिया बनाई है। हमें प्रमुख रूप से पांच प्रमुख चिंताओं पर काम करना है :-

- पुरुषों की तरह महिलाओं को भी शिक्षा तक पहुंच प्रदान करें
- महिलाओं को सत्ता में रहने और आर्थिक सफलता हासिल करने का अवसर दें।
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा और यौन उत्पीड़न बंद करें।
- बाल विवाह समाप्त करें।
- भारत में महिलाओं को महिला अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाय।

इन पांच प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता हासिल करने की उम्मीद कर सकते हैं। यह न तो कठिन है और न ही असंभव हम सब मिलकर यह कर सकते हैं।

लैंगिक असमानता का प्रभाव- लैंगिक समानता कोई 'महिलाओं का मुद्दा' नहीं है, लैंगिक असमानता का प्रभाव हमारे समुदायों के सभी हिस्सों पर पड़ता है। लैंगिक रूढ़िवादिता का सभी लिंग के लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

महिलाएँ लगभग हर पैमाने पर बदतर स्थिति में हैं। चाहे वह वेतन अंतर हो, अवैतनिक देखभाल में बिताया गया समय हो, लैंगिक हिंसा की उच्च दर हो, या नेतृत्व और सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त महिलाओं की कमी हो, यह एक ही बात पर वापस आता है : लिंग असमानता।

लिंग विविध लोगों के लिए, पारंपरिक लिंग द्विआधारी के बाहर लिंग की पहचान, अभिव्यक्ति और/या अनुभव करने से भेदभाव, कलंक और बहिष्कार के विभिन्न रूप सामने आते हैं। यह भेदभाव अधिकारों का हनन करता है। यह समाज में भागीदारी को सीमित करता है। इससे लैंगिक विविधता वाले विक्टोरियन लोगों के स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक परिणाम भी खघराब होते हैं।

पुरुषों और लड़कों के लिए, मर्दानगी की कुछ रूढ़ियों के अनुरूप होने का दबाव शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। इस तरह की रूढ़िवादिता में सख्त, शांत, प्रभावशाली और आक्रामक होना शामिल है। हालांकि लड़कियों और युवा महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होने की अधिक संभावना है, लेकिन पुरुषों द्वारा उनके लिए मदद लेने की संभावना कम है।

कार्यस्थल पर, लैंगिक रूढ़िवादिता का मतलब है कि पुरुष पुराने विचारों को दूर करने या लचीली कामकाजी नीतियों और



माता-पिता की छुट्टी तक पहुंचने में कम सक्रम महसूस कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, पुरुषों के लचीले कार्य अनुरोधों को अस्वीकार किए जाने की संभावना महिलाओं की तुलना में दोगुनी है।

पुरुषत्व की कठोर रूढ़ियाँ महिलाओं और लिंग विविध लोगों के खिलाफ पुरुषों की हिंसा में प्रत्यक्ष भूमिका निभाती हैं। हमें लैंगिक हिंसा को रोकने के लिए पुरुषत्व के हानिकारक रूपों को संबोधित करने की आवश्यकता है, साथ ही पुरुषों और लड़कों को लैंगिक समानता में शामिल करने की आवश्यकता है। लैंगिक समानता वाले समाज से सभी को लाभ होता है। यह हमारे समुदायों को सुरक्षित, स्वस्थ और अधिक जुड़ा हुआ बनाता है।

असमानता को समाप्त करने के प्रयास- लैंगिक असमानता को कम करने के लिए, फिर, एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य उन सांस्कृतिक और संरचनात्मक कारकों को संबोधित करने के लिए विभिन्न नीतियों और उपायों का सुझाव देता है जो लैंगिक समानता पैदा करने में मदद करते हैं:

- समाज की मानसिकता में धीरे-धीरे परिवर्तन आ रहा है जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर गंभीरता से विमर्श किया जा रहा है। तीन तलाक, हाजी अली दरगाह में प्रवेश जैसे मुद्दों पर सरकार तथा न्यायालय की सक्रियता के कारण महिलाओं को उनका अधिकार प्रदान किया जा रहा है।

- राजनीतिक प्रतिभाग के क्षेत्र में भारत लगातार अच्छा प्रयास कर रहा है इसी के परिणामस्वरूप वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक- 2020 के राजनीतिक सशक्तीकरण और भागीदारी मानक पर अन्य बिंदुओं की अपेक्षा भारत को 18वाँ स्थान प्राप्त हुआ।

- भारत ने मैक्सिको कार्ययोजना (1975), नैरोबी अग्रदर्शी (Provident) रणनीतियाँ (1985) और लैंगिक समानता तथा विकास एवं शांति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र द्वारा 21वीं शताब्दी के लिये अंगीकृत "बीजिंग डिवलरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को कार्यान्वित करने के लिये और कार्यवाही एवं पहलें" जैसी लैंगिक समानता की वैश्विक पहलों की अभिपुष्टि की है।

- 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', 'वन स्टॉप सेंटर योजना', 'महिला हेल्पलाइन योजना' और 'महिला शक्ति केंद्र' जैसी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप लिंगानुपात और लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में प्रगति देखी जा रही है।

- आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु मुद्रा और अन्य महिला केंद्रित योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

- लैंगिक असमानता को दूर करने के लिये कानूनी प्रावधानों के अलावा किसी देश के बजट में महिला सशक्तिकरण तथा शिशु कल्याण के लिये किये जाने वाले धन आवंटन के उल्लेख को जेंडर बजटिंग कहा जाता है। दरअसल जेंडर बजटिंग शब्द विगत दो-तीन दशकों में वैश्विक पटल पर उभरा है। इसके जरिये सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुँचाया जाता है।

भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संवैधानिक प्रावधान- भारत के संविधान में कई प्रावधान शामिल हैं जो महिला सशक्तिकरण के मुद्दे का समर्थन करते हैं। ऐसे कुछ प्रमुख प्रावधानों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत देखा जा सकता है:

मूल अधिकार-

अनुच्छेद 14: महिलाओं सहित सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समता या विधि से समान संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है।

अनुच्छेद 15(1): लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

अनुच्छेद 15(3): राज्य को महिलाओं के संचयी सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक नुकसान को कम करने के लिए उनके पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने की अनुमति प्रदान करता है।

अनुच्छेद 16: राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों, जिनमें महिलाएँ भी शामिल हैं, के लिए समान अवसर प्रदान करता है। यह लिंग आदि के आधार पर किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए भेदभाव या अयोग्य घोषित करने पर भी प्रतिबंध लगाता है।

अनुच्छेद 21: इस अनुच्छेद के द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान की जाती है, इसकी परिधि में कई अधिकार शामिल हैं, जिसमें महिलाओं के साथ शालीनता और गरिमा के साथ व्यवहार करने का अधिकार भी शामिल है।

अनुच्छेद 23: मानव तस्करी पर प्रतिबंधित करता है, जिसमें महिलाओं की खरीद-फरोख्त, महिलाओं का अनैतिक व्यापार, वेश्यावृत्ति आदि शामिल है।

राज्य नीति के निदेशक तत्त्व-

अनुच्छेद 39: राज्य को पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।

अनुच्छेद 42: राज्य को कार्य की उचित और मानवीय स्थितियों एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है।

अनुच्छेद 44: राज्य को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। ऐसा कोड विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे व्यक्तिगत मामलों में महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करेगा।

अनुच्छेद 45: राज्य को सभी बच्चों, जिनमें बालिकाएँ भी शामिल हैं, के लिए छह वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करता है।

मौलिक कर्तव्य- अनुच्छेद 51 A: प्रत्येक नागरिक पर महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करने का मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है।

अनुच्छेद 51 A: प्रत्येक माता-पिता अभिभावक पर अपने बच्चे या वार्ड को छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान



करने का मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित करता है।

अन्य संवैधानिक प्रावधान—

अनुच्छेद 243D: पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 243T: शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण अधिनियम) 2023 128 वॉ संविधान संशोधन अधिनियम, ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण के लिए तीन नये अनुच्छेद जोड़े हैं—

अनुच्छेद 239AA: दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है

अनुच्छेद 330A लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है

अनुच्छेद 332A राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। — लैंगिक असमानता एक सामाजिक समस्या है जिसका अनुभव महिलाएं व्यक्तिगत रूप से करती हैं

- पेशेवर जीवन. लैंगिक असमानता को रोकने के उपाय, सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण कर रहे हैं
- लड़कियों के संबंध में, लड़कियों को पुरुष समकक्षों की तुलना में सक्षम मानना, लड़कियों के साथ व्यवहार करना
- सम्मान और शिष्टाचार के साथ, बुद्धिमान और उत्पादक निर्णय लेना, के गुणों को सुदृढ़ करना
- सहायता और सहयोग, लड़कियों के बीच अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना, प्रदान करना
- लड़कियों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा, लड़कियों के बीच कौशल और क्षमताओं को बढ़ाना, प्रोत्साहित करना
- विभिन्न कार्यों एवं गतिविधियों में लड़कियों की भागीदारी, विभिन्न प्रकार के समाधान प्रदान करना
- समस्याओं, लड़कियों को रोजगार के अवसरों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना
- लड़कियों के बीच सशक्तिकरण के अवसर, संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना, बनाना
- बुनियादी ढाँचे, सुविधाओं और सुविधाओं का प्रावधान, भीतर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना
- घर और पेशेवर सेटिंग में समान अधिकार और अवसर देना। रोकथाम
- लैंगिक असमानता समुदायों और राष्ट्र की प्रगति में सहायक हो रही है। अंत में,
- यह कहा जा सकता है, जब लैंगिक असमानता पर अंकुश लगेगा, तो व्यक्ति योगदान देंगे
- समग्र रूप से समुदायों और राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान।

निष्कर्ष— लिंग असमानता मुद्दे का व्यक्तिपरक महत्व जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लिंग अंतर की सामाजिक धारणाओं से जुड़ा हुआ है: लोगों के लिए परिवार, राजनीति और लिंग अंतर (समानता के बजाय) के विचार के प्रति अधिक प्रतिबद्ध हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में लैंगिक असमानता की समस्या कम महत्वपूर्ण है साथ ही, वे पेशेवर क्षेत्र में लैंगिक असमानता से अवगत नहीं हैं, खासकर जब कैरियर के अवसरों की बात आती है।

लैंगिक अंतर की सामाजिक धारणाओं की वर्णित विशेषताएं लैंगिक असमानता की घटना के पुनरुत्पादन में उनकी भूमिका के बारे में परिकल्पनाओं के निर्माण का आधार बन सकती हैं। सामाजिक अनुभूति के तंत्र और लिंग धारणाओं पर लिंग समाजीकरण के प्रभाव से संबंधित परिकल्पना तैयार करना संभव है।

लिंग संघर्ष के संभावित क्षेत्र विशेष रूप से सत्ता, राजनीति और नेतृत्व के क्षेत्र के साथ—साथ लिंग मतभेदों के बारे में विचारों के टकराव के क्षेत्र के रूप में सामने आए। इससे पता चलता है कि संस्कृति के भीतर निहित लैंगिक संबंधों का पदानुक्रम विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक असमानता की अभिव्यक्ति को कम करने के लिए सामाजिक कार्यक्रमों के लिए एक संभावित लक्ष्य हो सकता है। भारत में पितृसत्तात्मक सोच और लैंगिक असमानता व्याप्त होने के कारण, महिलाओं को विरोधाभासी भूमिकाएँ निभाने के लिए मजबूर किया जाता है। एक ओर, महिलाओं की मातृत्वपूर्ण भूमिका को बेटी, माँ, पत्नी और बहू के रूप में प्रभावी ढंग से निभाने के लिए उनकी ताकत को बढ़ावा दिया जाता है। दूसरी ओर, उनके पुरुष समकक्षों पर पूर्ण निर्भरता सुनिश्चित करने के लिए "कमजोर और लाचार महिला" की रूढ़िवादी छवि को बढ़ावा दिया जाता है।

भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति प्रगति और विद्यमान चुनौतियों के एक जटिल अंतःक्रिया द्वारा चित्रित है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं। हालाँकि, गहराई से जड़ें जमा चुके सामाजिक मानदंड, आर्थिक असमानताएं और राजनीतिक चुनौतियों का अर्थ है कि भारत में लैंगिक असमानता अभी भी मौजूद है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. जेनेट शिबली और मारिसिया सी. लिन, "गणित और विज्ञान में लिंग समानताएं," विज्ञान, 314, 599, 2006.
2. क्लॉड एम. स्टील, "ए थ्रेट इन द एयर, हाउ स्टीरियोटाइप्स शोप इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी एंड परफॉर्मेंस"। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, 52, 613, 1997.
3. हुत, सी. (1972)। मानव विकास में लिंग भेद मानव विकास, 15 (3), 153—170.



4. वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, 2021-23.
5. मेडनिक, एम., और थॉमस, वी. (2008) महिला और उपलब्धि. प्रेगर पब्लिशर्ससध्नीनवुड पब्लिशिंग ग्रुप।
6. वेस्ट, सी., और जिम्मरमैन, डीएच (1987)। लिंग करना. लिंग और समाज,1(2), 125-151। गूगल स्कॉलर ,
7. एकर, जे. (1990). नौकरियाँ, पदानुक्रम और कामुकता: लिंग और संगठनों पर कुछ और विचार। लिंग और समाज 4,139-158। गूगल स्कॉलर।
8. Ministry of women & child Development, Govt. of India 10. mpskills.gov.in
9. www.wcd.nic.in
10. मानव विकास सूचकांक, 2020.
11. भारत का संविधान- भाग III दृ मूल अधिकार,भाग IV- नीति निदेशक तत्व (DPSP), भाग IV A- मूल कर्तव्य।
